उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

संख्या:50/2025/518जे0/22-5-2025-1200(31)/2017

लखनऊ : दिनांक 30 अप्रैल, 2025

वारण्ट

उप महानिरीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-17662/सामा-1(3)/256/मानसिक बंदी/25, दिनांक 23-04-2025 द्वारा जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी गुजराती देवी पत्नी श्री जोखू को मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर द्वारा मानसिक रोग से ग्रस्त पाये जाने एवं उनकी संस्तुति के क्रम में उक्त महिला बंदी को उपचार हेतु मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी भेजे जाने हेतु अनुमति मांगी गयी है।

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-479 एवं प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त महिला बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, गोरखपुर वापस भेज दिया जाये।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-50/2025/518जे0(1)/22-5-2025-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाऐं, उ0प्र0 लखनऊ को उक्त पत्र दिनांक 23-04-2025 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित। **(संलग्नक यथोक्त)**

2. जिलाधिकारी, गोरखपुर।

3. पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर।

4. अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।

5. प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार त्रिपाठी)

अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है। है ।

http://shasanadesh.up.gov.in